आदेश

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 (संख्या–01 वर्ष 2018) कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग–2 के पत्र संख्या–289938/XXX(2)/2025E-33080 दिनांक 15 अप्रैल, 2025 तथा उत्तराखण्ड शासन, समाज कल्याण अनुभाग–4 के कार्यालय संख्या–404/ XVII - 4/2015-2/2018 के कम में विभागीय स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के आधार पर निम्नलिखित **प्रशासनिक अधिकारियों** को समान पद एवं वेतनमान में उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम 3 से कॉलम 4 में उल्लिखित कार्यालय में तत्काल प्रभाव से स्थानान्तरित किया जा जाता है–

क0 स0	कार्मिक का नाम	वर्तमान तैनाती स्थल	स्थानान्तरण के फलस्वरूप तैनाती स्थल	स्थानान्तरण का प्रकार
1	2	3	4	5
1	श्री तारा सिंह	कार्यालय जिला समाज कल्याण अधिकारी चम्पावत	राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान पाईन्स नैनीताल	धारा 17 (1) (ख) अनुरोध के आधार पर
2	श्री यतेन्द्र सिंह राणा	कार्यालय जिला समाज कल्याण अधिकारी, उत्तरकाशी	कार्यालय जिला समाज कल्याण अधिकारी, चम्पावत	धारा 17 (1) (ख) अनुरोध के आधार पर
3	श्री घनश्याम लाल आगरी	कार्यालय जिला समाज कल्याण अधिकारी, बागेश्वर	कार्यालय जिला समाज कल्याण अधिकारी, पिथौरागढ़	धारा 17 (1) (ख) अनुरोध के आधार पर

उक्त स्थानान्तरित कार्मिक को निर्देशित किया जाता है कि स्थानान्तरण आदेश प्राप्ति के एक सप्ताह के अन्दर नवीन तैनाती स्थान पर कार्यभार ग्रहण कराना सुनिश्चित करें। स्थानान्तरित कार्मिकों को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा। स्थानान्तरित कार्मिकों के द्वारा नव तैनाती स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरूद्व स्थानान्तरण अधिनियम की धारा–24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी । अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरित कार्मिकों को स्थानान्तरण यात्रा भत्ता देय नहीं होगा। स्थानान्तरित कार्मिको का माह जुलाई, 2026 का वेतन नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जायेगा।

(**संजय कुमार**)
निदेशक।

निदेशालय समाज कल्याण, उत्तराखण्ड हल्द्वानी – नैनीताल।

संख्या 1369/स0क0/स्था0–3/स्था0–26/2026–27 दिनांक 30 जून, 2026

प्रतिलिपि– निम्नाकिंत को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

1– सचिव, समाज कल्याण, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।

2– संबन्धित वरिष्ठ/मुख्य कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड ।

3– नोडल अधिकारी आई0टी0सैल को इस निर्देश के साथ कि उक्त स्थानान्तरण आदेश को विभागीय वेबसाइड में अपलोड करने हेतु।

4– संबन्धित जिला समाज कल्याण अधिकारी को इस निर्देश के साथ कि तत्काल स्थानान्तरित कार्मिक को कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करें।

5– सम्बन्धित कार्मिक द्वारा सम्बन्धित जिला समाज कल्याण अधिकारी, उत्तराखण्ड।

6– व्यक्तिगत पत्रवाली।

निर्देशक।

आदेश

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 (संख्या–01 वर्ष 2018) कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग–2 के पत्र संख्या–289938/XXX(2)/2025E-33080 दिनांक 15 अप्रैल, 2025 तथा उत्तराखण्ड शासन, समाज कल्याण अनुभाग–4 के कार्यालय संख्या–404/ XVII - 4/2015-2/2018 के क्रम में विभागीय स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के आधार पर निम्नलिखित **बरिष्ठ सहायकों** को समान पद एवं वेतनमान में उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम 3 से कॉलम 4 में उल्लिखित कार्यालय में तत्काल प्रभाव से स्थानान्तरित किया जा जाता है–

क0 स0	कार्मिक का नाम	वर्तमान तैनाती स्थल	स्थानान्तरण के फलस्वरूप तैनाती स्थल	स्थानान्तरण का प्रकार
1	2	3	4	5
1	श्री आदित्य राणा	कार्यालय जिला समाज कल्याण अधिकारी पौड़ी।	कार्यालय जिला समाज कल्याण अधिकारी, हरिद्वार।	धारा 17 (1) (ग) दुर्गम से सुगम
2	श्री दीपक कुमार	कार्यालय जिला समाज कल्याण अधिकारी, हरिद्वार।	कार्यालय जिला समाज कल्याण अधिकारी पौड़ी।	धारा 17 (1) (क) सुगम से दुर्गम

उक्त स्थानान्तरित कार्मिक को निर्देशित किया जाता है कि स्थानान्तरण आदेश प्राप्ति के एक सप्ताह के अन्दर नवीन तैनाती स्थान पर कार्यभार ग्रहण कराना सुनिश्चित करें। स्थानान्तरित कार्मिकों को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा। स्थानान्तरित कार्मिकों के द्वारा नव तैनाती स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरूद्व स्थानान्तरण अधिनियम की धारा–24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी, स्थानान्तरित कार्मिकों का माह जुलाई, 2026 का वेतन नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जायेगा।

(संजय कुमार)
निदेशक।

निदेशालय समाज कल्याण, उत्तराखण्ड हल्द्वानी – नैनीताल।

संख्या 1370 /स0क0/स्था0–3/स्था0–26/2026–27 दिनांक 30 जून, 2026

प्रतिलिपि– निम्नाकिंत को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

1– सचिव, समाज कल्याण, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।

2– संबन्धित वरिष्ठ/मुख्य कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड ।

3– नोडल अधिकारी आई0टी0सैल को इस निर्देश के साथ कि उक्त स्थानान्तरण आदेश को विभागीय वेबसाइड में अपलोड करने हेतु।

4– संबन्धित जिला समाज कल्याण अधिकारी को इस निर्देश के साथ कि तत्काल स्थानान्तरित कार्मिक को कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करें।

5– सम्बन्धित कार्मिक द्वारा सम्बन्धित जिला समाज कल्याण अधिकारी, उत्तराखण्ड।

6– व्यक्तिगत पत्रवाली।

निदेशक।

आदेश

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 (संख्या–01 वर्ष 2018) कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग–2 के पत्र संख्या–289938/xxx(2)/2025 E-33080 दिनांक 15 अप्रैल, 2025 तथा उत्तराखण्ड शासन, समाज कल्याण अनुभाग–4 के कार्यालय संख्या–404/xvii-4/2015-2/2018 के क्रम में गठित विभागीय स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के आधार पर निम्नलिखित सहायक समाज कल्याण अधिकारियों को समान पद एवं वेतनमान में उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम 3 से कॉलम 4 में उल्लिखित कार्यालय/विकास खण्ड में तत्काल प्रभाव से स्थानान्तरित किया जाता है–

क. स.	कार्मिक का नाम	वर्तमान तैनाती स्थल	नवीन तैनाती स्थल	स्थानान्तरण का प्रकार
1	2	3	4	5
1	श्री सुनील रावत	विकास खण्ड नौगांव, उत्तरकाशी	कार्या0जिला समाज कल्याण अधिकारी, उत्तरकाशी **(दुर्गम विकास खण्ड)**	धारा 17(1) (क)
2	श्री संजय भट्ट	कार्या0जिला समाज कल्याण अधिकारी, पिथौरागढ़	कार्या0जिला समाज कल्याण अधिकारी पिथौरागढ़ **(दुर्गम विकास खण्ड)**	धारा 17(1) (क)
3	श्री राहुल आर्य	विकास खण्ड हल्द्वानी–नैनीताल	कार्यालय जिला समाज कल्याण अधिकारी, बागेश्वर	धारा 17(1) (क)
4	श्री नवीन सिंह रावत	कार्या0जिला समाज कल्याण अधिकारी, टिहरी	कार्यालय जिला समाज कल्याण अधिकारी, पौड़ी, **(दुर्गम विकास खण्ड)**	धारा 17(1) (क)
5	श्री संजीव कुमार पाल	कार्या0जिला समाज कल्याण अधिकारी, पौड़ी	कार्या0जिला समाज कल्याण अधिकारी, पौड़ी, (**दुर्गम विकास खण्ड)**	धारा 17(1) (क)
6	श्री दलीप कुमार	कार्या0जिला समाज कल्याण अधिकारी, पिथौरागढ़	कार्या0जिला समाज कल्याण अधिकारी, नैनीताल **(सुगम विकास खण्ड)**	धारा 17(1) (ग)
7	श्री धनन्जय लिंगवाल	कार्या0जिला समाज कल्याण अधिकारी, चमोली	कार्यालय जिला समाज कल्याण अधिकारी चमोली **(सुगम विकास खण्ड)**	धारा 17(1) (ग)
8	श्री गिरीश न्यूली	कार्या0जिला समाज कल्याण अधिकारी, बागेश्वर	कार्या0जिला समाज कल्याण अधिकारी, टिहरी **(सुगम विकास खण्ड)**	धारा 17(1) (ग)
9	श्री सुनील नेगी	कार्या0जिला समाज कल्याण अधिकारी, चमोली	कार्या जिला समाज कल्याण अधिकारी देहरादून **(सुगम विकास खण्ड)**	धारा 17(1) (ग)
10	श्री सुधीर जोशी	कार्या0जिला समाज कल्याण अधिकारी, उत्तरकाशी	कार्या जिला समाज कल्याण अधिकारी पौड़ी **(सुगम विकास खण्ड)**	धारा 17(1) (ग)

11	सुश्री नीलम ज्योति	कार्या0जिला समाज कल्याण अधिकारी, पिथौरागढ़	कार्या जिला समाज कल्याण अधिकारी चम्पावत	धारा 17(1) (ख)
12	सुश्री मीनाक्षी उपाध्याय	कार्यालय जिला समाज कल्याण अधिकारी, टिहरी	कार्या जिला समाज कल्याण अधिकारी देहरादून	धारा 17(1) (ख)
13.	सुश्री नम्रता गौड़	कार्यालय जिला समाज कल्याण अधिकारी पौड़ी	कार्या जिला समाज कल्याण अधिकारी टिहरी गढ़वाल	धारा 17(1) (ख)

उक्त स्थानान्तरित कार्मिकों को निर्देशित किया जाता है कि स्थानान्तरण आदेश प्राप्ति के एक सप्ताह के अन्दर नवीन तैनाती स्थल पर कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें, नव तैनाती स्थल पर कार्यभार ग्रहण न करने की दशा में उनके विरूद्ध स्थानान्तरण अधिनियम की धारा–24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी। स्थानान्तरित कार्मिकों को किसी भी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा तथा स्थानान्तरित कार्मिकों का माह जुलाई, 2026 का वेतन नवीन तैनाती स्थल से आहरित किया जायेगा। अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरित कार्मिकों को स्थानान्तरण यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

ह0/–

(संजय कुमार)

निदेशक।

निदेशालय समाज कल्याण उत्तराखण्ड हल्द्वानी–नैनीताल।

पत्रांक/1371 /स0क0/स्था0–3/2026–27, दिनांक30 जून, 2026

प्रतिलिपि–निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. सचिव, समाज कल्याण, उत्तराखण्ड शासन देहरादून।
2. सम्बन्धित जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी, उत्तराखण्ड।
3. सम्बन्धित वरिष्ठ/मुख्य कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
4. सम्बन्धित जिला समाज कल्याण अधिकारी, उत्तराखण्ड को इस निर्देश के साथ कि स्थानान्तरित कार्मिकों को तत्काल कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करें।
5. नोडल अधिकारी, आई.टी.सैल देहरादून को विभागीय बेवसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु।
6. सम्बन्धित कार्मिक द्वारा सम्बन्धित जिला समाज कल्याण अधिकारी, उत्तराखण्ड।
6. व्यक्तिगत पत्रावली।

निदेशक।